न्यायालय पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
प्रकीर्ण वाद संख्या :–1516/2026
राज्य बनाम आदित्य अमन

थाना–क्लेमेंटाउन, जिला देहरादून।

<u>दिनांक–28.04.2026</u> <u>वाहन रिलीज आदेश</u>

प्रार्थी आदित्य अमन पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी–मोहब्बेवाला, नियर काली मंदिर, देहरादून के द्वारा मामले में वाहन रिहाई प्रार्थना पत्र पेश कर सम्बन्धित वाहन संख्या–UK-07-DC-5558 (मोटर साईकिल) को अपनी सुपुर्दगी में रिलीज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी का उक्त वाहन उक्त मुकदमे में थाना क्लेमेंटाउन की पुलिस द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निरूद्ध कर दिया गया था। प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त वाहन को अपने हक में रिलीज कराना चाहता है। उक्त वाहन थाने में खुले में खड़ा होने के कारण उसके खराब होने की सम्भावना है। प्रार्थी को अपने कार्यों हेतु उक्त वाहन की आवश्यकता है। अतः उक्त वाहन को प्रार्थी के हक में अवमुक्त करने की याचना की गयी। प्रार्थी की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर थाना क्लेमेंटाउन की आख्या तलब की गयी। आख्या के अनुसार उपरोक्त ममाले में वांछित वाहन का तकनीकी परीक्षण किया जा चुका है तथा वाहन को रीलीज किए जाने का विरोध किया गया।

4. सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी की ओर से वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या–UK-07-DC-5558 की आर0सी0, आधार कार्ड की प्रति इत्यादि प्रपत्रों की एक–एक छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। आर0सी0 में वाहन स्वामी के रूप में **श्री आदित्य अमन** नाम अंकित है, जिससे वह प्रथम दृष्टया उक्त वाहन का कब्जेदार/पंजीकृत वाहन स्वामी दर्शित होता है। उपरोक्त वाहन का तकनीकी परीक्षण हो चुका है तथा उक्त वाहन को अवमुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई प्रति गुजरात राज्य (2002) 10 एस0सी0सी0 290** में पारित न्याय निर्णय में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के आलोक में वाहन संख्या–UK-07-DC-5558 (मोटर साईकिल) के वाहन स्वामी/कब्जेदार के पक्ष में दौराने मुकदमा अन्तरिम रूप से अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी **आदित्य अमन** का प्रार्थना पत्र वास्ते निर्मुक्त किये जाने वाहन संख्या–UK-07-DC-5558 (मोटर साईकिल) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

(i). प्रार्थी द्वारा रु0 70,000/–(सत्तर हजार रुपये) का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र/अण्डरटैकिंग तथा इसी समान धनराशि का एक प्रतिभू न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(ii). प्रार्थी द्वारा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उक्त वाहन को अपने खर्च पर पेश करेगा।

(iii). प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के रंग रूप में न ही कोई परिवर्तन करेगा और न ही उक्त वाहन में खुर्द–बुर्द करेगा तथा न ही किसी अन्य को हस्तान्तरित करेगा।

(iv). प्रार्थी उक्त वाहन से संबंधित प्रपत्रों की प्रति न्यायालय में दाखिल करेगा।

प्रार्थी द्वारा शर्तों का अनुपालन करने पर आदेश की एक प्रति संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जाए कि यदि उक्त वाहन किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो प्रार्थी की पहचान सुनिश्चित कर वाहन संख्या–UK-07-DC-5558 (मोटर साईकिल) को प्रार्थी **आदित्य अमन** को सौंपना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार निस्तारित की जाती है।

(विशाल वशिष्ठ)
पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।